(23)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 01/2025 दायरा दिनांक 28.01.2025

आर.सी.एम.एस नम्बर 2025/1

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. लटूरा पुत्र हजारीलाल जाति किराड़ निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज.
2. हरिचरण पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज.
3. मन्नू पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज.
4. रामस्वरूप पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज.
5. पप्पूलाल पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज.

– अपीलान्टस

बनाम

1. नायब तहसीलदार केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज.
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राज.
3. गुडडी पुत्री हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज.
4. तुलसा पुत्री हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज.

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–

श्री अरविन्द कुमार शर्मा :– अभिभाषक, अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक 17.03.2025**

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण कमांक 443 दिनांक 18.01.1992 ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 443 दिनांक 18.01.1992 ग्राम सेमलीफाटक को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद अन्तर्गत नायव तहसीलदार केलवाडा द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

(84)

संक्षेप विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि ग्राम सेमलीफाटक में अपीलान्टस के पिता हजारीलाल पुत्र गोविन्दी जाति किराड निवासी सेमलीफाटक के खातेदारी में खसरा नं 36 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 37 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नं. 124 रकबा 12.06 बीघा, खसरा नं. 125 रकबा 2.12 बीघा, खसरा नं. 172 रकबा 2.14 बीघा, खसरा नं. 175 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नं. 220 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 606/737 रकबा 1.11 बीघा, खसरा नं 607 रकबा 16.02 बीघा, खसरा नं. 609 रकबा 4.13 बीघा किता 10 कुल रकबा 46. 00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। अपीलान्टस के पिता हजारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 तथा पुनियां बाई (मृतक) हजारीलाल के वारिस है। हजारीलाल की खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करते समय नायव तहसीलदार केलवाडा द्वारा अपीलान्ट क्रम 4 का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामचरण व अपीलान्ट क्रम 5 का नाम पप्पूलाल के स्थान पर सभाराम दर्ज किया गया जो अपीलान्ट क्रम 4 व 5 के सही नाम नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट रामस्वरूप व पप्पूलाल के उक्त सही नाम है के स्थान पर गलत नाम रामचरण, सभाराम दर्ज कर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

2. यह कि रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 सहखातेदार होने से पक्षकार है जिनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है तथा सहखातेदार पूनियां बाई फोत हो चुकी है जिसका हिस्सा अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 में समाहित हो गया है।

3. यह कि नामान्तरकरण का ज्ञान दिनांक 31.05.2024 को के.सी.सी. हेतु नकले लेने जाने पर हुआ, तुरन्त ही अपीलान्ट ने नकल नामान्तरकरण दिनांक 31.05.2024 को प्राप्त की तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्टस के पिता हजारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 तथा पुनियां बाई (मृतक) हजारीलाल के वारिस है। हजारीलाल की खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करते समय नायव तहसीलदार केलवाडा द्वारा अपीलान्टक्रम 4 का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामचरण व अपीलान्ट क्रम 5 का नाम पप्पूलाल के स्थान पर सभाराम दर्ज किया गया। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने बताया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्टकम 4 का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामचरण व अपीलान्ट क्रम 5 का नाम पप्पूलाल के स्थान पर सभाराम गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्टक्रम 4 का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामचरण व अपीलान्ट क्रम 5 का नाम पप्पूलाल के स्थान पर सभाराम वास्तविक नाम है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम सेमलीफाटक का इंतकाल नं. 443 दिनांक 18.01.1992 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के पिता हजारीलाल के वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 443 निर्णय दिनांक 18.01.1992 की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)